



2026:AHC:17643

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
रिट याचिका - बी संख्या - 2681/2025

रघुनंदन और अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 8 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: अली बिन सैफ, शादाब हुसैन

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: आकाश रावत, सी.एस.सी., पंकज कुमार शुक्ला

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

- वर्तमान रिट याचिका उ.प्र.सी.एच. अधिनियम की धारा 11(1) के अंतर्गत अपील में चकबंदी निपटान अधिकारी द्वारा दिनांक 20.06.2025 को पारित आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है।
- प्रतिद्वंद्वी-प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के आधार पर वर्तमान रिट याचिका की अनुरक्षणीयता के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति उठाई है।
- याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के विरुद्ध उपाय की उपलब्धता के संदर्भ में प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्क का खंडन नहीं किया।
- अतः वर्तमान रिट याचिका, विधि के अनुसार उचित न्यायालय के समक्ष जाने के वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के आधार पर, अनुरक्षणीय न होने के कारण खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)

27 जनवरी, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विनय

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।